[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 11/2025-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 27 मार्च, 2025

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में-

(क) नियम 164 में,-

(i) उपनियम (4) में, "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर की पूर्ण रकम" शब्दों के स्थान पर "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख़ को या इससे पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से संबंधित कर की पूर्ण रकम और उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण- उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शास्ति के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 के प्रारंभ होने से पूर्व संपूर्ण अवधि के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है।

(ख) नियम 164 के उपनियम 7 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहाँ धारा 128 क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में,जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए कर की मांग भी शामिल है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाय अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के पश्चात उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे ।

स्पष्टीकरण- शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील आवेदन धारा 128 क के उप-खंड (3) के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 या उसके भाग की अवधि के लिए उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया हुआ समझा जाएगा।"

[सं. सी.बी.आई.सी.-20016/12/2025-जी.एस.टी.]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव,भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 72(अ) तारीख 23 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।